राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1542

दिनांक 7/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 245 / 15 अनवान हादी वगैरा बनाम गोमाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 29.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम आर.ए.एस.*** मुकाम चौहटन

1.हादी 2.बाबूखां 3.असरफखां 4.रहमानखां 5.रहीमखां 6.इस्माइलखां पि.जीमलखां जातियान मुसलमान, निवासी मिठे का तला

बनाम

1.गोमाराम 2.मगनाराम 3.हरदानराम 4.किरताराम 5.किस्तुराराम पि.मगाराम जाति जाट, निवासी बींजासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

वाद बाबत **183,188, RT Act.**

मुकदमा नं. 245/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री पवन धारीवाल** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री वीरमाराम धारासर** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में से करीब 07.07 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करावे।**

.... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.6.17 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 245/2015

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 183,188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण – 1.हादी 2.बाबूखां 3.असरफखां 4.रहमानखां
5.रहीमखां 6.इस्माइलखां पि.जीमलखां
जातियान मुसलमान, निवासी मिठे का तला

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.गोमाराम 2.मगनाराम 3.हरदानराम
4.किरताराम 5.किस्तुराराम पि.मगाराम
जाति जाट, निवासी बींजासर
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल**
प्रतिवादी वकील – **श्री वीरमाराम धारासर**

निर्णय

दिनांक :– 29.06.2017

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी व मालिकाना अधिकारों की भूमि मौजा बींजासर, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा आई हुई है। वादीगण के पूर्व दिशा में सेढ़े पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 1132/434 रकबा 36.03 बीघा का आया हुआ है। वादीगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में पटवारी एवं आर.आई. मौके पर जाकर सीमाज्ञान कर बिन्दु कायम किये तब प्रतिवादीगण का वादीगण की 07.07 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया तब एक तरफ नेखम नहीं लगाये एवं बाकी तीन बिन्दुओं पर पक्के नेखम स्थापित किये। प्रतिवादीगण ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से घूसकर लगभग 07.07 बीघा भूमि पर अवैध व नाजायज कब्जा कर लिया है। जिस पर निर्माण करने हेतु उतारू है। यदि ऐसा हो जाता है तो वादीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिए वादीगण रकबा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

करीब 07.07 बीघा पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम धारासर ने वकालतनामा पेश किया । वादीगण वकील द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल नेखमबन्दी फर्द , नकल जमाबन्दी खसरा सं. 1132/434 एवं 944/435, आशिंक नक्शा खसरा सं. 944/435 की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय में पेश की ।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बींजासर में दिनांक 29.06.17 को पेश हुई। वादीगण वकील उपस्थित । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया। नेखमबन्दी फर्द मौका का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा में प्रतिवादीगण का 07.07 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा **बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में से करीब 07.07 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खसरा सं. 944/435 रकबा 77.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करावे।** पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बींजासर मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन